

(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा.दी.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी:-शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.)

क्रमांक नम्बर:- 20/2020

उनवान

परमेश्वरी देवी वगै० बनाम जगदीश वगै०

बाबत:- विभाजन

दिनांक:- 16-03-2022

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार गिल उपस्थित। इस वाद में आज को श्री शैलेश खैरवा, उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के लिये होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण मुताबिक जन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। मालदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह लैंड रिकार्ड रूल्स के नियम 62 के तहत मिन नम्बरान को संशोधित कर नक्शा ट्रेस में तरमीम व राजस्व रिकार्ड में विभाजन वाद के अनुसार अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16-03-2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा त जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनाम	2 36 500	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी दावा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनाम मुतफरिक	00
योग	538		00

प्रमाणित प्रतिलिपि
न्यायालय अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

अमल से प्रमाणित किया

8/3/2022

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी

झुन्झुनू (राज.)